

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन

सेवा में,

महासमादेष्टा,  
होमगार्डस,  
उ०प्र० लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

विषय : मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस, मुरादाबाद के भवन निर्माण की द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2114/लेखा/भवन आवंटन-83/2013 (पार्ट-आगरा), दिनांक 08 सितम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या-69/2015/2984/95-2015-14 बजट/15, दिनांक 08.12.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू० 499.35 लाख (रू० चार करोड़ निम्नयानवे लाख पैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग 18 माह के समयान्तर्गत प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.18 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनर्वृत्ति/दविरावृत्ति न हो इसे विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य का निरन्तर अनुश्रवण कर धनराशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यन्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।

(4) शासनादेश संख्या-69/2015/2984/95-2015-14 बजट/15, दिनांक 08.12.2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-08-मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निर्गतदिशा निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय  
सत्येन्द्र कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

.....2

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-30/2017/1717(1)/पन्चानबे-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, होमगार्डस मुख्यालय, 30प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलीय कमाण्डेण्ट/जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, मुरादाबाद।
5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (द्वारा महासमादेष्टा होमगार्डस, 30प्र0)
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
निर्मला श्रीवास्तव  
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।